राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बाँसवाड़ा (राज.)

फोन न.:-02962 248000 ई-मेल-elecellbsw@gmail.com

अपील न. 1/2020

श्री लक्ष्मण पुत्र श्री वरसेंग, उम्र 34 वर्ष जाति गरसिया भील, निवासी खुंटीकानजी, ग्राम पंचायत डागल, पंचायत समिति गांगडतलाई, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाडा(राज.)

– अपीलार्थी

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा

– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.12.2019

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B. Civil Writ Petion No 309/2020 लक्ष्मण व अन्य बनाम चुनाव आयुक्त राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 के निर्देशानुसार अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2020 को 7.30PM पर अपील प्रस्तुत की गई जिसे 3 दिवस या 13.01.2020 से पूर्व निर्णित करने के आदेश दिए गए हैं।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, अपीलार्थी ग्राम पंचायत डागल, पंचायत समिति गांगडतलाई, जिला बांसवाडा का मतदाता होकर अपीलार्थी का नाम उक्त ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में वार्ड संख्या दो के क्रम संख्या 21 में सुचीबद्ध रहा है। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के दौरान श्री मगनलाल गरासिया पुत्र श्री मानसिंह, जाति भील, निवासी ग्राम खुंटी कानजी द्वारा प्रत्यर्थी को आक्षेप प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 20.12.2019 से अपीलार्थी का नाम ग्राम पंचायत डागल की निर्वाचक नामावली से पृथक कर दिया गया है एवं ग्राम पंचायत खुंटीनारजी में पूर्वानुसार सम्मलित किया गया। जिससे व्यथित व असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी का कथन है कि पंचायत की ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित होने के पश्चात् अपीलार्थी का नाम हटाने व अन्य पंचायत में शामिल करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 14 की पालना नहीं की व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर सुना नहीं गया।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में प्रस्तुत अभिकथनों को ही दोहराया एवं यह तर्क प्रस्तुत किया कि पंचायती राज निर्वाचन नियम 14 की पालना में उन्हें सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया।

अपीलार्थी श्री लक्ष्मण एवं उनकी पत्नि श्रीमती कुसुमलता का वर्तमान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बागीदौरा के विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचक नामावली 2020 ड्राफ्ट प्रकाशन तिथि 16.12.2019 में श्री लक्ष्मण एवं उसकी पत्नि कुसुमलता का नाम मतदान केन्द्र 253 खुंटीनारजी के अनुभाग खुंटीनारजी की क्रम संख्या 593 व 594 पर दर्ज है। अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम पंचायत खुंटीनारजी का सरपंच है इसका पैतृक मकान व पैतृक भूमि ग्राम खुंटीनारजी में ही स्थित है। नवृसजित ग्राम पंचायत डागल की प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया में श्री लक्ष्मण का नाम ग्राम खुंटीकानजी में शिफ्टीग की प्रक्रिया द्वारा सहवन से जोड़ा गया। अपीलार्थी द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावली में ग्राम खुंटीनारजी से अपना नाम विलोपित कर ग्राम पंचायत डागल के ग्राम खुंटीकानजी में जोडने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रारूप 8 में नाम संशोधन हेतु प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने के पश्चात उस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई एवं ना ही पंचायत मतदाता सूची में नाम संशोधन हेतु ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पंचायत की वार्डवार निर्वाचक नामावली तैयार करने के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश प्रदान किए हैं कि वर्तमान विधानसभा निर्वाचक नामावली के आधार पर ही उसमें अंकित मतदाताओं को पंचायत के वार्डवार चिन्हित कर पंचायत की ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली तैयार करनी थी। वर्तमान में

Scanned by CamScanner

भी विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 के ड्राफ्ट प्रकाशन दिनांक 16.12.2019 में भी अपीलार्थी का नाम ग्राम खुंटीनारजी में ही अंकित है। विधानसभा मतदाता सूची से पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करते समय सहवन से या किसी मिली भगत से बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाये ग्राम पंचायत डागल की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जोडा गया है जो विधि सम्मत नहीं है। यह नाम ग्राम पंचायत डागल की ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में कैसे व क्यों सम्मिलित किया गया, इसकी जॉच किया जाना आवश्यक है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसकी जॉच कर दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण–पत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र में प्रस्तुत शपथ–पत्र में स्वयं द्वारा भी मुल निवासी ग्राम खुटीनारजी बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.09.2019 एवं 01.10.2019 का ग्राम खुंटीकानजी में क्रय शुदा भुमि के विक्रय पत्र में भी स्वयं को खुंटीनारजी तहसील गांगडतलाई का निवासी होना बताया है।

अपीलार्थी के ग्राम खुंटीकानजी की पंचायत निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम को लेकर की गयी आपत्ति की जॉच पटवारी, भू.अ.नि. तथा तहसीलदार द्वारा करवाई गयी तथा जॉच में पाया गया कि अपीलार्थी वर्तमान में खुंटीनारजी का सरपंच है तथा अपने सपरिवार ग्राम खुंटीनारजी में स्थाई रूप से निवासरत है।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के धारा 18 अनुसार कोई व्यक्ति संबन्धित पंचायती राज संस्थान का साधारणतया निवासी है तो उसका नाम निर्वाचक नामावली में पजीकृत किया जायेगा। उक्त धारा 18 के स्पष्टीकरण(ii) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का किसी निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं का आवासीय मकान होने मात्र से वह व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का साधारणतया निवासी नहीं माना जायेगा। अतः सम्पति होने मात्र से यह सिद्ध नही होता कि अपीलार्थी खुंटीकानजी का साधारण निवासी है। वैसे भी प्रार्थी ने भुमि खरीदने एवं एक आवसीय कमरा नई पंचायत के गठन प्रक्रिया के पश्चात बनाया है। तहसीलदार की जॉच रिपार्ट के अनुसार उस कमरे में साधारणतया निवास करना नहीं पाया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अपीलार्थी के पहचान संबन्धित दस्तावेजो के आधार पर अपीलार्थी ग्राम खुंटीनारजी का साधारणतया निवासी पाया जाता है।

अपीलार्थी का यह कथन सही प्रतीत होता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया क्योंकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के रिकार्ड में ऐसे नोटिस की प्रति नहीं है। परन्तु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने मौखिक रूप से अवगत कराया कि उसको दिनांक 17.12.2019 को अपीलार्थी स्वयं द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार यह सही है कि अपीलार्थी को नोटिस जारी नहीं किया परन्तु उसके द्वारा दस्ती प्रार्थनापत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिया गया था अतः यह नही माना जा सकता कि अपीलार्थी को बिल्कुल भी नहीं सुना गया।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीरण अधिकारी बागीदौरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 में कोई अविधिकता नहीं पाई गई है। तथा प्रकरण में प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायतीराज (चुनाव) नियम 1994 के नियम 21A के अनुसार नियम 23 व 58 के अन्तर्गत पंचायत चुनाव की अधिसूचना दिनांक 11.01.2020 को जारी करने के पश्चात चुनाव सम्पन्न होने तक निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार का संशोधन, परिर्वतन एवं विलोपन नियम 21 के तहत प्रस्तुत अपील के माध्यम से भी नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। उक्त आदेश आज दिनांक 12.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

12/01/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत)(कलक्टर) बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.01.21 12:55:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: